पुर्नविनियोग

संख्या– 271 /VI/2016–29(3)/2010

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेलकूद निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग — देहरादूनः दिनांक 30 मार्च, 2016

विषयः– जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत पौड़ी में "रांसी स्टेडियम" के निर्माण कार्यो हेतु पुर्नविनियोग के माध्यम से बजट स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1450/ब.पत्रा./2015–16 दिनांक 16.03.2016, शासनादेश संख्या–853/VI-2/2010–29(3)2010, दिनांक 03.11.2010, संख्या–96/VI-2/2013–29(3)2010, दिनांक 11.02.2013, संख्या–245/VI-2/2014–29(3) 2010, दिनांक 23.05.2010 एवं संख्या–526/VI-2/2010–29 (3)2010, दिनांक 22.11.2014 एवं संख्या–488/VI-2/2014–29 (3)2015, दिनांक 07.08.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि टी.ए.सी. के परीक्षणोपरान्त संस्तुत लागत ₹499.42 लाख *(सिविल कार्यो हेतु ₹450.31 लाख अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कराये जाने वाले कार्यो हेतु ₹49.11 लाख)* के सापेक्ष उक्त शासनादेशों के द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रश्नगत कार्यो हेतु कुल **₹489.60 लाख** की धनराशि निदेशालय के निवर्तन पर स्वीकृत की जा चुकी है। जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत पौड़ी में "रांसी स्टेडियम" के चालू निर्माण कार्यो को सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु संलग्न बी0एम0–09 के अनुसार पुर्नविनियोग के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुदान संख्या–11 के आयोजनागत पक्ष में अवशेष धनराशि **₹9.82 लाख (₹ नौ लाख बयासी हजार मात्र)** आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। पूर्व जारी शासनादेशों एवं अन्य निर्धारित नियमों के दृष्टिगत कहीं कोई विसंगति की स्थिति संज्ञान में आती है, तो तत्काल प्रकरण पर शासन का मार्गदर्शन प्राप्त किया जाये।

...शि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जाय। धनराशि का आहरण/व्यय मासिक व्यय सारिणी बनाकर यथाआवश्यकता नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4—उक्त आवंटित धनराशि की व्यय की संकलित सूचना बी0एम0—08 पर प्रतिमाह अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

5—धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय—समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

6—उक्त धनराशि का आहरण/व्यय शासन द्वारा समय—समय पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

7—इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015—16 के आय—व्ययक में **अनुदान संख्या—11—आयोजनेत्तर—लेखाशीर्षक—4202—शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय—03—खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम—102—खेलकूद स्टेडियम—05—स्पोटर्स स्टेडियम का निमार्ण (चालू कार्य)—24—वृहद निर्माण कार्य मानक मद के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत** संलग्न बी0एम0—09 के कॉलम—3 में इंगित बचतों से वहन किया जायेगा।

8—यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—445(P)/XXVII (3)/2015—16, दिनांक 30 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:—अलाटमेंट आई0डी0 संख्या— R1603111080 , दिनाक: 30 मार्च, 2016

भवदीय,

o/c (शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 271 /VI/2016-29(3)/2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. निजी सचिव, खेल मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिला कीड़ाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
4. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल ।
5. महाप्रबंधक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम, घुड़दौड़ी, पौड़ी गढ़वाल।
6. वित्त अधिकारी, साइबर कोषागार/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग—1/3, उत्तराखण्ड शासन।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
9. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

o/c (देवेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

C:\Documents and Settings\A\Desktop\Preeti (2015-16)\Budget\Punarviniyog\G.O.doc

उत्तराखण्ड शासन
(वित्तीय वर्ष 2015-2016)
बी .एम. - 09

अनुदान संख्या - 011
पुनर्विनियोग स्वीकृति आदेश संख्या - 271/VI-2016&29(3)/2010

अलोटमेंट आईडी - R1603111080
दिनांक - 30-Mar-2016

(In Rupees)

क्रम संख्या	बजट प्राविधान तथा लेखासिर्शक (1)	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय (2)	वित्तीय वर्ष के अवधि में अनुमानित व्यय (3)	अवशेष सरप्लस समायोजित धनराशी (4)	लेखाशीर्षक जिसमे धनराशी स्थानान्तरित की जानी हे (5)	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -5 की कुल धनराशी (6)	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ -1 में कुल धनराशी	अभियुक्ति
	4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परि 03 खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम 102 खेलकूद स्टेडियम 04 स्पोर्टस स्टेडियम का निर्माण (नए कार्य) 00 स्पोर्टस स्टेडियम का निर्माण (नए कार्य) (Plan Voted)				4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूं 03 खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद सं 102 खेलकूद स्टेडियम 05 स्पोर्टस स्टेडियम का निर्माण (चालू 00 स्पोर्टस स्टेडियम का निर्माण (चालू (Plan Voted)			
1	24 - वृहत् निर्माण कार्य 20000000	0	19018000	982000	24 - वृहत निर्माण कार्य 982000	20982000	19018000	
	योग			982000	योग 982000			

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 133,134 में उल्लिखित प्राविधानो एवं सीमाओ का उल्लंघन नही होता है।

पुनर्विनियोग किये जाने हेतु प्रपत्र 09 की मूल प्रति वित्तीय डाटा सेण्टर 23- लक्ष्मी रोड डालनवाला ,देहरादून को उपलब्ध करायी